

विषय:- रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य ।

कृपया श्री प्रवीण नेवास्कर, शासकीय अधिवक्ता मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। याचिकाकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2014 के विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 दायर की है। प्रकरण याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियों को निरस्त कर उनके मूल विभाग में वापस किए जाने के संबंध में है। याचिका की प्रति अप्राप्त है।

2/ प्रकरण में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रबंध संचालक, म.प्र. शासन दुग्ध संघ भोपाल, मु.का.अ. जिला पंचायत गुना एवं मु.का.अ. जिला पंचायत शिवपुरी को प्रतिवादी बनाया है।

3/ अतः प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तदनुसार प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने हेतु निर्णय लेना चाहेंगे।

संयुक्त आयुक्त

J.C. Law

कृपया प्रभारी उ-अधिकारी का नाम प्रस्तावित करें।

0

8/2/16

मु.का.अ. जिला पंचायत गुना के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने पर स्तावित है।

J.C. Law

सचिव मंजूर

J.C. (Law)

0

10/2/16

10/2/16

Brajesh Kumar
Secretary
Govt. of M.P.

12/02/16

Panchayat & Rural Dev. P...

2

प.क्र / 22/वि-16/वि.प्र./2016

विषय:- रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य ।


पूर्व पृष्ठ से....

पूर्व पृष्ठ पर सचिव मध्ये के अनुमोदन अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु आदेश का प्राप्ति अनु/घरता. प्रस्तुत है।

से.आ. (विधि)

उप/सचिव
पं. लवंगरी वि.प्र. १०

J.C. (Law)



17/2/16

18-2-16

19/02/16

15-2-16
16/2/16

19/2/16

क. 512 / 22/वि-16/वि.प्र./2016

विषय:- रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से....

विभागीय आदेश क्र. 2359 दिनांक 19-2-2016 द्वारा उपरोक्त प्रकरण में CEO ZP गुना को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नरती विधि विभाग को भेजित करना चाहेंगे।

सं.आ. (विधि)
लाचिव मं०

D/S RD

J.C. (Law)

0

Brajesh Kumar
Secretary
Govt. of M.P.
Panchayat & Rural Dev. Deptt.

01/3/16 25-2-16

विभागीय आदेश क्र. 2359 दिनांक 19-2-2016 द्वारा उपरोक्त प्रकरण में CEO ZP गुना को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नरती विधि विभाग को भेजित करना चाहेंगे।

सं.आ. (विधि)

उप लाचिव

मं. प्र. शासन
पं. एवं श्री. वि. वि. वि.

Dy. Secy. (Law)

2/3/16

4-3-16

D:\Kanchan D16\New Writ petition notesheet.doc

क. 512 / 22/वि-16/वि.प्र./2016
दिनांक

01/76

No. 23 / 22/D-16/वि.प्र./2016
DATE 8-3-2016

6

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-18 (विधि प्रकोष्ठ)
सहायक- श्रीमती कंचन मोहनानी
प्र.अधी - श्री आर एस. सक्सेना
प्रभारी अधि का नाम-श्री राजेन्द्र सिंह

प.क्र / 22 / वि 18 / वि.प / 2018

विषय:- रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरुद्ध म.प्र. शासन
एवं अन्य ।

पूर्व पृष्ठ से.....



0751-2230360 Office/Fax
0751-2230269 Office

कार्यालय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
सिटीसेंटर, ग्वालियर
OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL,
MADHYA PRADESH, HIGH COURT
GWALIOR

522

Dated

25.1.16

प्रति,

1. प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जिला गुना
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जिला शिवपुरी

विषय:- डब्ल्यू.पी. क्र. 3769/2014 राजकुमार जैन आदि वि० म.प्र. शासन एवं अन्य

उपरोक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 16.06.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्तागणों की नियुक्तियों को निरस्त कर उनके मूल विभाग में वापिस किया गया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2016 को सुनवाई हेतु नियत होने पर प्रकरण में जवाब प्रस्तुति की कार्यवाही किये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय अंतिम रूप से प्रदान किया गया है।


कृपया प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर मय अभिलेख के इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे होने वाले किसी विपरीत आदेश से बचा जा सके।

(प्रवीण नेवास्कर)
शासकीय अधिवक्ता

19/01/2016
5/02/16

WATERBURY, CONNECTICUT
JANUARY 1900

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE WATERBURY
TRADING COMPANY
OF THE CITY OF WATERBURY
CONNECTICUT



252

252

252

[AFTER NOTICE (FOR ADMISSION) - CIVIL CASES]

(10. After Week)

Statutory Info. [FOR Admn. I.R. (Entered on : 23-01-2016)]

Bench Single Bench

File Location Case recieved by Record Room Pending(Writ) from M.P Ahirwal/WP on **28-01-2016**

Scanning Info The Judgment/Order has NOT been Scanned ...!

Category SERVICE RELATING TO STATE GOVT.-17100
Deputation-17127
Deputation-17127

Act A PETITION FILED UNDER ARTICLE 226 AND/OR 227 OF CONSTITUTION

Petitioner(s) 1 RAJ KUMAR JAIN S/D/W/Thru:- SHRI K.C.JAIN
SERVICEW ZILA PANCHAYAT , Shivpur , MADHYA PRADESH

2 SUNIL KUMAR JAIN S/D/W/Thru:- L TE BABULAL JAIN
SERVICE POSTED AS TECHNICAL ASSISTANT IN ZILA PANCHAYAT GUNA
Guna , MADHYA PRADESH

Respondent(s) 1 THE STATE OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SECRETARY DEPT. OF PANCHAYAT AND RURAL
DEVELOPMENT VALLABH BHAWAN , Bhopal , MADHYA PRADESH

2 THE MANAGING DIRECTOR, M.P. STATE COOPERATIVE DUGDH
FEDERATION
BHOPAL , Bhopal , MADHYA PRADESH

3 THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ZILA PANCHAYAT
GUNA , Guna , MADHYA PRADESH

4 THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ZILA PANCHAYAT SHIVPURI
SHIVPURI , Shivpur , MADHYA PRADESH

Pet. Advocate(s) DHARMENDRA SINGH RAGHUWANSHI

AJAY BHARGAVA[P-1]

NARENDRA SINGH KIRAR[P-1]

HIMANSHU SHARMA[P-1]

Resp. Advocate(s) ADVOCATE GENERAL

VIVEK JAIN[R-2]

NAROTTAM SHARMA[R-2]



3

High Court of Madhya Pradesh

HOME	CONTACT US	ABOUT US	FAQ	LINKS	NEWS	RECORDS	CONTACT US
HOME	CONTACT US	ABOUT US	FAQ	LINKS	NEWS	RECORDS	CONTACT US

Hon'ble Judges

Portfolio Judges

Committees

Registry Officers

Administrative

Setup

Circulars / Orders

Transfer / Posting

Recruitment /

Result

Legal Services

Judges Roster

Tenders

e-Courts

Information

Journal

Child Custody

Juvenile Justice

State Judicial

Academy

Judicial Training

Right to

Information

Case Statistics

FAQ

**Feedback &
Suggestions**

Click Here to
submit your
feedback about
mphc.gov.in. Let us
know how we can

Search at Gwalior

Change Bench **Gwalior**

Case Number

Party Name

Counsel Name

District Court

Crime No./Year

WP

3769

2014

SHOW

Details

Earlier Court

Connected

Listing

I.A.

Documents

Notices

Defaults

Judgement/Orders

Adjustments

Mention Memo

Restoration

Registration Date 25-06-2014

Case Detail WRIT PETITION (WP) 3769/2014

DA Name M.P Ahirwal [WP-DA-6] [CIS User ID : 856]

First Entry Clerk Filing Clerk 1 On 25-06-2014 12:44:49

Last Updated By CR2 RDR On 22-01-2016 05:20:32

Last Listed On **22-01-2016 [HON'BLE SHRI JUSTICE RAVI SHANKAR JHA]**

Last Order List After (4)-Ord dt:22/01/2016

Tentative date 22-02-2016 (Computer generated)

Update On **22-02-2016 [SB (proposed pool-I)] UPDATED**

Status Pending

Stage Motion Hearing

Pending

4

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

// आदेश //


क्रमांक/ ²³⁵⁹ /22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक ¹⁹ /02/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क्र. 3769/2014 श्री राजकुमार जैन एवं अन्य 1 विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में म0प्र0 राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका/वाद पत्र में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसकी राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार कर सकेगा।
- 6- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात/पत्र भेजे :-
 - क. वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट।
 - ख. प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - ग. उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में उपेक्षा की गई है।
 - घ. मामले के निराकरण के लिए आवश्यक कागजातों/पत्रों की प्रक्रिया इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिये।
- 7- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8- जब भी कोई आदेश/निर्देश विनिर्दिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

- 9- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने एवं राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।
- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
- 11- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है। अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात तब तक प्रभारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी की नियुक्ति न कर दी जाये।
- 12- प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा हुआ न रह जाये।
- 13- न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छोटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है। ध्यान आकर्षित करायेंगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगा।


(एस.आर. चौधरी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./ 2360 /22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक 19/02/2016

प्रतिलिपि:-


1. ^{मति}महाधिवक्ता, ^{उपायुक्त}जबलपुर, म.प्र.।

2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।

3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग म.प्र.।

4. कलेक्टर, जिला गुना म.प्र.।

5. प्रभारी अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकरण में अधिकरण से संपर्क कर उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी प्रत्येक भेंट पर शासकीय अधिवक्ता से आगामी कार्यवाही हेतु सलाह करने तथा मामले में प्रगति रिपोर्ट के साथ जवाबदावा प्रस्तुत कर शासन को भेजने हेतु अग्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग